

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- रमेश सिरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण सं. 82/2022 वाद

GCMS NO.- 2022/279

1. शिवदान पिता ओपाजी जाति चारण आयु वयस्क निवासी अजोता तहसील
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

--वादी

बनाम

1. ईश्वरदान पिता ओपाजी जाति चारण आयु वयस्क निवासी अजोता तहसील
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
2. श्रवणदान पुत्र ईश्वरदान जाति चारण आयु वयस्क निवासी अजोता तहसील
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

--प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88, 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

श्री नरेन्द्र वैष्णव, अधिवक्ता वादी, उपस्थित

श्री घनश्याम असावा, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2, उपस्थित

::निर्णय::

दिनांक 05.07.2023

1. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने न्यायालय हाजा में उक्त उनवान का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53.88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके मौजा अजोता प0ह0 निम्बोदा तहसील निम्बाहेडा में स्थित खाता संख्या 07 की आराजी नं0 412 रकबा 0.7100 हैक्टेयर स्थित हैं। जिसके पुराने आराजी नं0 197 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा स्थित हैं।
2. उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी का 3/8 हक हिस्सा तथा प्रतिवादीगण न0 1 का 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी क्रमांक 2 का 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जावे तथा वादग्रस्त भूमि का बंटवारा इसी अनुसार फरिकेन के मध्य मौके पर कब्जे अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करते हुए वादी का 3/8 हक हिस्सा तथा प्रतिवादीगण न0 1 का 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी क्रमांक 2 का 1/4 हक हिस्सा अलग खातेदारी में दर्ज किया जावे।
3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा राजीनामा प्रस्तुत कर वादी का वाद राजीनामें अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया।
4. बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दोनो पक्षों के अभिवचनों के आधार पर वादी राजीनामे के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई, उभयपक्षों की बहस पर मनन करने के बाद राजीनामे को दृष्टिगत रखते हुए वाद वादी राजीनामें अनुसार प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार निम्बाहेडा को कमिश्नर नियुक्त कर प्राथमिक डिक्री अनुसार फर्द विभाजन करने के आदेश दिनांक 03.08.2022 को दिये गये। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2022/1886 दिनांक 12.10.2022 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो माफिक आदेशानुसार है।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है । विवादित भूमि मौजा अजोता पटवार हल्का निम्बोदा का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:-

1- श्री शिवदान पिता ओपाजी चारण निवासी अजोता तहसील निम्बाहेडा

खाता संख्या	आराजी नं	रकबा(है)	लगान रूपये में
7	412 (उत्तर दिशा)	0.27	5.13
कुल किता 1		0.27 हैक्टेयर	5.13

2 श्री ईश्वरदान पिता ओपाजी 27/44, श्री श्रवणदान पुत्र ईश्वरदान हिस्सा 17/44 जाति चारण निवासी अजोता तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

खाता संख्या	आराजी नं	रकबा(है)	लगान रूपये में
7	412 (दक्षिण दिशा)	0.44	8.36
कुल किता 1		0.44 हैक्टेयर	8.36

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन होने पर सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। नक्शा ट्रेस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2023 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईजड करवाया गया।



(रमेश सोरवी पुनाडियाँ)
सहायक कलेक्टर
सहायक कुलकर्त,
निम्बाहेडा

शिवदान बनाम ईश्वरदान
GCMS No- 2022/279
प्रकरण संख्या 82/2022

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :- रमेश सिरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण सं. 82/2022 वाद
GCMS NO.- 2022/279

शिवदान पिता ओपाजी जाति चारण आयु वयस्क निवासी अजोता तहसील निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़ राज0

--वादी

बनाम

1. ईश्वरदान पिता ओपाजी जाति चारण आयु वयस्क निवासी अजोता तहसील
निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0
2. श्रवणदान पुत्र ई वरदान जाति चारण आयु वयस्क निवासी अजोता तहसील
निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0

--प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88, 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

इस वाद में दिनांक 03.08.2022 को प्राथमिक डिक्री की गई थी। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2022/1868 दिनांक 12.10.2022 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्रस्तुत किया है जो माफिक आदेशानुसार है। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री घनश्याम असावा की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत हुए। तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त फर्द विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है। फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा अजोता पटवार हल्का निम्बोदा का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:-

1- श्री शिवदान पिता ओपाजी चारण निवासी अजोता तहसील निम्बाहेड़ा	खाता संख्या	आराजी नं	रकबा(है)	लगान रूपये में
	7	412 (उत्तर दिशा)	0.27	5.13

कुल किता 1 0.27 हैक्टेयर 5.13

2 - श्री ईश्वरदान पिता ओपाजी 27/44, श्री श्रवणदान पुत्र ईश्वरदान हिस्सा 17/44	जाति चारण निवासी अजोता तहसील	निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0	खाता संख्या	आराजी नं	रकबा(है)	लगान रूपये में
			7	412 (दक्षिण दिशा)	0.44	8.36

कुल किता 1 0.44 हैक्टेयर 8.36

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन होने पर सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आज तारीख 05.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(रमेश सिरवी पुनाड़ियाँ)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

